राजस्थान सरकार
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य(ग्रुप–2)विभाग

क्रमांकःप0 12(1)चिस्वा/2/2019 जयपुर,दिनांकः–

आदेश

डॉ रांजय शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाचूडाला जिला जयपुर के विरूद्ध दहेज प्रताडना के प्रकरण में डॉ शर्मा को दिनांक 14.04.19 को गिरफ्तार किया गया। डॉ संजय शर्मा दिनांक 14.04.19 से 20.04.19 तक पुलिस हिरासत में रहे हैं तथा दिनांक 20.04.19 को माननीय न्यायालय द्वारा डॉ शर्मा को न्यायिक अभिरक्षा भेजा गया।

अतः डॉ संजय शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाचूडाला जिला जयपुर के 48 घण्टे से अधिक पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा रहने के कारण राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–13 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार डॉ शर्मा को गिरफ्तार किये जाने की दिनांक 14.04.19 से निलम्बित माने जाने (Deemed to have been suspended) के आदेश एतद्द्वारा प्रदान करती है।

डॉ रांजय शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाचूडाला जिला जयपुर का निलम्बन काल के दौरान मुख्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर के कार्यालय में रहेगा। डॉ शर्मा को निलम्बन काल में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेशों की पुष्टि कराने की व्यवस्था कराने का श्रम करावें।
4. निदेशक (जनस्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें को प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही आज हीं किया जाना सुनिश्चित करावे।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर/जयपुर–प्रथम।
6. डॉ रांजय शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाचूडाला जिला जयपुर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर में इस प्रयोजनार्थ रखी उपस्थिति पजिका मे उपस्थिति अंकित करे।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

(ओ0 पी0 वर्मा)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमाक – सीबी/सीएएस/एस–727/2019/354 दिनाक 17/5/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एव स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके आदेश क्रमाक प 12(1)चिस्वा/2/2019 दिनाक 16 05 2019 के क्रम मे।
2. सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये, जोन जयपुर/जोधपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम को प्रेषित कर लेख है कि डॉ0 सजय शर्मा, चि0अ0 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाचूडाला (जयपुर) को प्रशासनिक विभा का आदेश दिनाक 05 05 2019 तामील करवा कर तामील रसीद भेजते हुए चिकित्सक को निलम्बन काल मे मुख्यालय मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर के कार्यालय मे उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करे।
4. मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर।
5. अति0 प्रशासनिक अधिकारी, राजपत्रित अनुभाग/डोपीसी/एटीसी मुख्यालय।
6. डॉ0 सजय शर्मा, चि0अ0 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाचूडाला (जयपुर) द्वारा उनके नियत्रण अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करे।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।